521

ए.

यूनाइटेड इंडिया इंस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम

एंटीक्यु आर्ट एक्सपोर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड। (2019 की सिविल अपील संख्या 3284)
28 मार्च, 2019

बी.

[ए**.** एम**.** खानविलकर और अजय रस्तोगी**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 11 (6)-मध्यस्थ की नियुक्ति-प्रत्यर्थी-दावेदार द्वारा अपने कारखाने के लिए ली गई आग और विशेष खतरे की बीमा पॉलिसी-उसके कारखाने में आग लग गई-बीमा कंपनी ने उस दावे का निपटारा किया जिसे दावेदार ने बिना किसी विरोध या विरोध के स्वीकार कर लिया था-पूर्ण और अंतिम समझौता-11 सप्ताह के बाद, दावेदार ने बीमा अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड का आह्वान करते हुए याचिका दायर की कि बीमा कंपनी द्वारा धोखाधड़ी, जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया था और उसे बिंदीदार लाइनों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था-उच्च न्यायालय एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ा-अपील पर कहा गयाःप्रथम दृष्टया दावेदार द्वारा निर्वहन वाउचर पर बिना किसी विरोध या विरोध के हस्ताक्षर किए जाने के बाद और दावे को अंततः सहमति और संतुष्टि के साथ निपटाने के बाद कोई विवाद नहीं था-दावे के निपटारे के 11 सप्ताह बाद पहली बार एक पत्र भेजा गया था जिसमें विरोध जताया गया था कि निर्वहन वाउचर पर अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती के तहत हस्ताक्षर किए गए थे-कोई सहायक प्रथम दृष्टया सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था-इसके अभाव में, यह इस बात का पालन करना चाहिए कि दावे को सहमति और संतुष्टि के साथ निपटाया गया था और समझौते के तहत कोई मध्यस्थ विवाद नहीं था जिसे निर्णय के लिए मध्यस्थ को भेजा जाना था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** तत्काल मामले में**,** आग की दो घटनाओं के लिए**,** अपीलकर्ता कंपनी ने सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर दोनों आग के दावों के निपटारे के लिए ई**-**मेल भेजे**,** जिसका जवाब

प्रत्यर्थी ने उसी तारीख को ई-मेल के माध्यम से कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की और समझौते और संतुष्टि के साथ पूर्ण और अंतिम निपटान में डिस्चार्ज वाउचर भी जारी किया।इसके बाद, **12** जुलाई, **2016** को, प्रत्यर्थी ने विवरण के साथ कुछ जानकारी मांगी जो भी पहली बार प्रस्तुत की गई थी।

जी.

एच.

521 ए.

522 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 5 एस. सी. आर.

27 जुलाई, **2016** में इसने यू-टर्न ले लिया और अपीलार्थी द्वारा अनुचित प्रभाव/जबरदस्ती की आवाज उठाई, जिसमें कहा गया कि वित्तीय संकट में होने के कारण बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।यह वाक्यांश अपने आप में तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव के आरोप को स्थापित करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत न हो, जो तत्काल मामले में पूरी तरह से गायब है।**[**पैरा **18] [533-**बी-ई**]**

बी.

1.2 दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, अभियोग पत्र का निर्वहन और हस्ताक्षर किसी अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती के कारण नहीं था जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा दावा किया जा रहा था और अनुरोध पत्र के निष्पादन पर, दावे का उचित समझौते और संतुष्टि के साथ निपटारा किया गया था, जिससे अधिनियम की धारा **11 (6)** के तहत नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ द्वारा किसी भी मध्यस्थ विवाद की जांच नहीं की जा सकती थी। **[**पैरा **19] [533-**ई-एफ**]**

सी.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा

पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड (2009) 1 एस. सी. सी. 267:[2008] 13

डी.

एस. सी. आर. 638; भारत संघ और अन्य बनाम मास्टर

निर्माण कंपनी (2011) 12 एस. सी. सी. 349:[2011] 5 एससीआर

853 ; न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2015) 2 एस. सी. सी. 424:

[2014] 12 एस**.** सी**.** आर**. 360-**पर निर्भर।

ई.

ड्यूरो फेलगुएरा एस**.** ए**.** बनामगंगावरम पोर्ट लिमिटेड **(2017)**

9 एससीसी **729:[2017] 10** एस**.** सी**.** आर**. 285-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

[2014] 12 एस**.** सी**.** आर**. 360** पर निर्भर

पैरा **9**

एफ.

[2008] 13 एस**.** सी**.** आर**. 638** पर निर्भर

पैरा **12**

[2011] 5 एस**.** सी**.** आर**. 853** पर निर्भर

पैरा **14 [2017] 10** एस**.** सी**.** आर**. 285** पैरा **20** में निर्दिष्ट है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील संख्या 3284

जी.

2017 की मध्यस्थता याचिका संख्या 105 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.05.2017 के निर्णय और आदेश से

2019 की सिविल अपील No.3285 के साथ।

एच.

संयुक्त भारत बीमा कंपनी. LTD.v।एंटीक्यु आर्ट एक्सपोर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

523

ए.

विनीत मल्होत्रा, यासिर रउफ, ओबीरुप घोष, विशाल घोरी, मोहित पॉल, एड.अपीलार्थी के लिए।

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, राहुल शर्मा, पी. एन. पुरी, विवेक सिब्बल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

रास्टोगी, जे।

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीलें बीमा कंपनी द्वारा पक्षकारों के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 11 (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए एक मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 30 मई, 2017 के आदेश पर आरोप लगाते हुए दायर की गई हैं।

सी.

3. अभिलेख से संक्षिप्त और वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी दावेदार 78, किलो माइल स्टोन, करहांस विलेज, मेन जी. टी. रोड, समालखा, पानीपत में स्थित अपना कारखाना चला रहा था और उसने 29 जून, 2013 और 10 अक्टूबर, 2013 को दो मानक अग्नि और विशेष संकट नीतियों को खरीदा था। 25 सितंबर, 2013 को और उसके बाद 25 अक्टूबर, 2013 को फैक्ट्री में आग लग गई, जैसा कि प्रत्यर्थी दावेदार ने दावा किया था।अपीलकर्ता कंपनी ने जानकारी प्राप्त होने पर मेसर्स प्रोटोकॉल सर्वेयर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को सर्वेक्षणकर्ता के रूप में नियुक्त किया और तथ्य खोज रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अपने अन्वेषक को भी नियुक्त किया।अधिकृत सर्वेक्षणकर्ता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, अपीलकर्ता कंपनी ने प्रत्यर्थी को इस सूचना के साथ एक ई-मेल भेजा कि उसने रुपये की राशि के लिए अपने दावे को मंजूरी दे दी है। गणना की गई राशि के पूर्ण विवरण के साथ पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए 25 अक्टूबर, 2013 को आग लगने के कारण 2,81,44,413/-।अपीलकर्ता कंपनी द्वारा प्रत्यर्थी को भेजे गए ई-मेल के उद्धरण को 2017 के एसएलपी (सी) संख्या 23956 से उत्पन्न सिविल अपील में अनुलग्नक पी-2 में रिकॉर्ड में रखा गया है और इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः- “
से:Jaiprakash1@uiic।को.में

डी.

ई.

एफ.

भेजा गयाःगुरुवार, 05 मई, 2016 1:23 प्रधानमंत्री कोःविमल सिंह

जी.

सीसीःsangeetagupta@uiic।को.में; vijaysharma@uiic।को.में; nareshchandolia@uiic।को.में

विषयःअग्नि दावा दिनांक 25.10.2013

एच.

524

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 5 एस सी आर।

ए.

साहब/महोदया,

यह आपको सूचित करने के लिए है कि सक्षम प्राधिकरण ने रुपये की राशि के लिए आपके दावे को मंजूरी दे दी है। 2,81,44,413/- (इमारत रु। 88,18,691 P & M रु. 7,32,382 एफ. एफ. एफ. रु. 3,61,049 तैयार माल, रु। 1,95,66,389 फायर फाइटिंग एक्स। रु. मलबे को हटाने की लागत 59,000 रुपये। 88, 187 कुल रु. 2,96,25,698)

बी.

5 प्रतिशत से कम अतिरिक्त रु। 14,81,285 = रु। 25.10.2013 दिनांकित हानि का 2,81,44,413) (दावा सं. 0407001113C101515001)

भुगतान जारी करने के लिए हमें आपकी ओर से अनुसरण करने की आवश्यकता है।

सी.

1. संबंधित बैंक "इंडियन ओवरसीज बैंक, डिफेंस कॉलोनी शाखा" से पुष्टि।

डाक के माध्यम से जिस खाते में एन. ई. एफ. टी. के माध्यम से भुगतान किया जाना है।

डी.

2. Rs.19100 का जमा पुनर्स्थापन प्रीमियम -3. अग्निशमन खर्च के बिल मूल रूप में

4. मूल में मलबा हटाने के बिल।

5. रुपये के लिए पूर्ण और अंतिम निपटान निर्वहन वाउचर। 2,81,44,413/- बिना किसी विषयवस्तु के भी बैंक द्वारा विधिवत समर्थित।

ई.

कृपया प्रस्तुत करें।

जयप्रकाश

संभागीय प्रबंधक

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 10203, तीसरी मंजिल, जमुना हाउस,

एफ.

पदम सिंह रोड

नई दिल्ली-110005

मोबाइलः9910791508

फोनः28755967, 28755419

jaiprakash@uiic।को**.**में "

जी.

4. उसी तारीख, यानी 5 मई, 2016 को प्रत्यर्थी ने गणना को स्वीकार करते हुए एक जवाब भेजा और अंतिम निर्वहन वाउचर और उस बैंक खाते के विवरण के साथ वांछित विवरण प्रदान किए जिसमें भुगतान जमा किया जाना था।प्रत्यर्थी द्वारा भेजे गए ई-मेल और डिस्चार्ज वाउचर का उद्धरण नीचे दिया गया हैः- ए.

एच.

संयुक्त भारत बीमा कंपनी LTD.v।एंटीक्यु आर्ट एक्सपोर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [आर. ए. एस. टी. ओ. जी. आई, जे.] ए.

525

“ विरोधी कला

एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

(भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निर्यात गृह)

पानीपत कार्यालयः78 के. एम. स्टोन, जी. टी. रोड, करहन गांव, तहसील समालखा, पानीपत-132103 (भारत)

बी.

टीः0091-180-3003300 (100 लाइन्स), एफः0091-180-3003311 ईःInfo@antiqueartexports।कॉम,:डब्ल्यू. डब्ल्यू.एंटीक्वार्टेक्सपोर्ट्स।कॉम संभागीय प्रबंधक

05.05.2016

सी.

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 10203,3 वीं मंजिल, जमुना हाउस पदम सिंह रोड

करोल बाग, नई दिल्ली।

डी.

एटन प्रकारःश्री जयप्रकाश

विषयःअग्नि दावा दिनांक 25.10.2013

प्रिय महोदय, हमें आज की तारीख का आपका ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसमें आपने अपनी ओर से आवश्यक कार्य करने के लिए कुछ दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। तदनुसार, हम आपकी आवश्यक कार्रवाई के लिए वांछित जानकारी/दस्तावेज जमा कर रहे हैं।

ई.

1. हम पहले ही अपने बैंक से खाते के विवरण की पुष्टि करने का अनुरोध कर चुके हैं, जिसमें एन. ई. एफ. टी. के माध्यम से भुगतान किया जाना है। उम्मीद है कि आपको यह सीधे बैंक से अपने ईमेल पर प्राप्त हुआ होगा।2. Rs.19100-के पुनर्स्थापन प्रीमियम के संबंध में, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप दावे के भुगतान से इसे काट लें।

एफ.

3. आपकी ओर से आवश्यक कार्य करने के लिए मूल अग्निशमन व्यय बिल इसके साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।

जी.

4. मूल रूप से मलबा हटाने के बिलों के संबंध में, हम इसके साथ अलग-अलग पत्र संलग्न कर रहे हैं और इसकी सामग्री स्वयं व्याख्यात्मक है।यह भुगतान हमारे पत्र के अनुसार बाद की तारीख में जारी किया जाना है।

एच.

5. आपकी ओर से आवश्यक कार्य करने के लिए बैंक द्वारा विधिवत समर्थित 413/- रुपये का पूर्ण और अंतिम निपटान निर्वहन वाउचर संलग्न किया जाता है।

यह उम्मीद करते हुए कि आपको अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपरोक्त जानकारी/दस्तावेज मिलेंगे, हम अपने दावे के भुगतान को हमारे बैंक में तत्काल स्थानांतरित करने के लिए तत्पर हैं।

बी.

इस संबंध में पुष्टि की एक पंक्ति की अत्यधिक सराहना की जाएगी।आभार व्यक्त करते हैं।

आपकी ईमानदारी से,

सी.

एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए अशोक जैन

सभापति "

डी.

" विरोधी कला

एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

(भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निर्यात गृह)

पानीपत कार्यालयः78 के. एम. स्टोन, जी. टी. रोड, करहन गांव, तहसील समालखा, पानीपत-132103 (भारत)

ई.

टीः0091-180-3003300 (100 लाइन्स), एफः0091-180-3003311
ईःInfo@antiqueartexports।कॉम,:डब्ल्यू. डब्ल्यू.एंटीक्वार्टेक्सपोर्ट्स।com
05.05.2016

पूर्ण और अंतिम निपटान निर्वहन वाउचर

एफ.

हम, एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, 78 कि. मी. स्टोन, करहांस विलेज, तहसील समालखा, पानीपत-132103, हरियाणा अपने आग के दावे के खिलाफ पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 413/- रुपये का भुगतान स्वीकार करते हैं।0407001113 बिना किसी व्यक्तिपरकता के 25.10.2013 दिनांकित हानि का C101515001।एंटीक आर्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए

जी.

एसडी/-

अशोक जैन

सभापति "

एच.

527

संयुक्त भारत बीमा कंपनी. LTD.v।एंटीक्यु आर्ट एक्सपोर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [आर. ए. एस. टी. ओ. जी. आई, जे.] ए.

ए.

5. 2017 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 23963 से उत्पन्न दीवानी अपील 25 सितंबर, 2013 को लगी आग से संबंधित है।पक्षों के बीच यह विवादित नहीं है कि तथ्य समान हैं, सिवाय इसके कि दावे का निपटारा रुपये में किया गया था। 2,20,36,840/-।

6. निर्विवाद रूप से, दोनों दावों को प्रत्यर्थी द्वारा बिना किसी विरोध या विरोध के स्वीकार कर लिया गया था, और 25 सितंबर, 2013 और 25 अक्टूबर, 2013 की घटना के दोनों दावों के संदर्भ में दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे और निर्वहन के बाद, प्रत्यर्थी ने बाद में ई-मेल के माध्यम से डी. टी.11 जुलाई, 2016 में प्रारंभिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि की प्रति सहित गणना के विभाजन के साथ कुछ विवरण और रिपोर्ट की आवश्यकता थी और इस बात की कोई कानाफूसी नहीं थी कि अपीलकर्ता कंपनी द्वारा किसी भी जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव आदि का उपयोग किया गया था।अपीलार्थी द्वारा 20 जुलाई, 2016 को ई-मेल का जवाब दिया गया था जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सभी विवरण दिए गए थे।इसके बाद 27 जुलाई, 2016 को पहली बार दावे की प्राप्ति और पूर्ण और अंतिम निर्वहन के लगभग 11 सप्ताह बाद, प्रत्यर्थी ने दावा किया कि धोखाधड़ी, जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया गया था और उसे इसके समर्थन में कोई प्रथम दृष्टया सबूत प्रस्तुत किए बिना बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।इसे आगे बढ़ाते हुए, 11 जनवरी, 2017 को उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन दायर किया गया (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) और अन्य बातों के साथ-साथ बीमाकर्ता ने प्रत्यर्थी को पूर्व-हस्ताक्षरित निर्वहन वाउचर पर बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दावा किया।

बी.

सी.

डी.

ई.

7. अपीलार्थी बीमा कंपनी ने अपने जवाब में ऐसे आरोपों का खंडन किया और आगे कहा कि प्रत्यर्थी ने अपने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे में भुगतान को स्वीकार करने के लिए अनुरोध पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।निर्वहन वाउचर बिना किसी आपत्ति या विरोध के भेजा गया था और आगे कुछ भी नहीं बचा है और न्यायनिर्णयन के लिए कोई मध्यस्थ विवाद नहीं है और जहां तक यह आरोप लगाया गया है कि बीमाकर्ता ने पूर्व-हस्ताक्षरित मानक निर्वहन पत्र पर बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रत्यर्थी पर अनुचित बल लगाया है, 27 जुलाई, 2016 के पत्र को छोड़कर कोई प्रथम दृष्टया दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है, जो दावे के निपटारे के लगभग 11 सप्ताह से अधिक समय बाद पहली बार भेजा गया था और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन गलत है और खारिज होने योग्य है।

एफ.

जी.

8. उच्च न्यायालय ने पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों और अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6 ए) पर ध्यान दिया, जिसे पेश किया गया है।

एच.

संशोधन अधिनियम, 2015 के आधार पर कहा गया है कि एक बार मध्यस्थता समझौता होने के बाद, अपीलकर्ता कंपनी द्वारा वितरित भुगतान की स्वीकृति, चाहे वह जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव में हो, मध्यस्थ द्वारा जांच की जाने वाली बात है और तदनुसार पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए आगे बढ़े।9. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विनीत मल्होत्रा प्रस्तुत करते हैं कि एक बार जब दावे का निपटारा हो जाता है और दावेदार को मुआवजा मिल जाता है और अपने दावे के पूर्ण और अंतिम निपटारे में एक डिस्चार्ज वाउचर जारी किया जाता है, तो समझौते का निर्वहन सहमति और संतुष्टि से किया जाता है।नतीजतन, न तो कोई अनुबंध बचा और न ही कोई दावा बचा।यह भी तर्क दिया गया कि बिना किसी आपत्ति या विरोध के उक्त निर्वहन वाउचर के तहत भुगतान प्राप्त करने के बाद, दावे की प्राप्ति और पूर्ण और अंतिम निर्वहन के 11 सप्ताह के बाद प्रत्यर्थी के लिए यह आवाज उठाने के लिए खुला नहीं था कि निर्वहन उसके समर्थन में कोई प्रथम दृष्टया सबूत प्रस्तुत किए बिना जबरदस्ती और अनुचित प्रभाव के तहत प्राप्त किया गया था और न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

बी.

सी.

लिमिटेड बनाम जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2015 (2) एस. सी. सी. 424

डी.

जो उनके अनुसार तथ्यों और परिस्थितियों के लगभग एक ही समूह पर है।

10. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6 ए) को संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा समयबद्ध तरीके से मध्यस्थता विवादों में तेजी लाने के लिए एक सीमित उद्देश्य के साथ पेश किया गया है, बशर्ते कि मध्यस्थ द्वारा निर्णय के लिए मध्यस्थता समझौते के तहत प्रथम दृष्टया मध्यस्थता दावा/विवाद बना रहे।तत्काल मामले में, चूंकि पक्षकारों की सहमति से उचित समझौते और संतुष्टि के साथ दावे का अंत में निपटारा होने के बाद कोई मध्यस्थता विवाद मौजूद नहीं था, इसलिए धारा 11 (6) पक्षकारों की संतुष्टि के लिए दावे के निपटारे के 11 सप्ताह से अधिक समय के बाद प्रत्यर्थी द्वारा विवाद उठाने के लिए उपलब्ध नहीं थी।

ई.

एफ.

11. कॉन्ट्रा के अनुसार, प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ध्रुव मेहता ने प्रस्तुत किया कि जहां तक दावों के निपटारे का संबंध है, वह विवाद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी आपत्ति यह है कि प्रत्यर्थी सौदेबाजी की स्थिति में नहीं था और वित्तीय तनाव में था, उसके पास अपीलार्थी द्वारा मनमाने तरीके से तय किए गए बिंदुओं पर दावे को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे कोई विकल्प नहीं बचा और दी गई परिस्थितियों में केवल स्वीकृति प्रत्यर्थी के यह स्थापित करने के अधिकार को नहीं खोएगी कि यह स्वैच्छिक नहीं था, बल्कि अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती के तहत था और ए

जी.

एच.

529

संयुक्त भारत बीमा कंपनी. LTD.v।एंटीक्यु आर्ट एक्सपोर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [आर. ए. एस. टी. ओ. जी. आई, जे.] ए.

चूंकि समझौते में मध्यस्थता का एक खंड है, इसलिए मध्यस्थ को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा दावे की स्वीकृति स्वैच्छिक या अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती के

तहत की गई है और दी गई परिस्थितियों में, विवादित निर्णय के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति करके कोई त्रुटि नहीं की गई है।

12. बीमा अनुबंध में मध्यस्थता खंड का अस्तित्व विवाद में नहीं है।प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या वर्तमान मामले में मुआवजे की स्वीकृति और निर्वहन पत्र पर हस्ताक्षर करने पर निर्वहन स्वैच्छिक था या जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव में था और प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा 11 (6) का आह्वान करने में उचित ठहराया गया था। यह सच है कि पूर्ण और अंतिम समझौते, रसीद या निर्वहन वाउचर का निष्पादन अपने आप में मध्यस्थता के लिए बाधा नहीं हो सकता है और यह देखा गया है

बी.

सी.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा मामले में इस न्यायालय द्वारा

पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड 2009 (1) पैरा 44 पर एस. सी. सी. 267 निम्नानुसार हैः- “44. अपीलार्थी द्वारा जिन तीन मामलों पर भरोसा किया गया, उनमें से किसी में भी यह प्रस्ताव नहीं दिया गया है कि केवल एक पूर्ण और अंतिम निपटान रसीद या निर्वहन वाउचर का निष्पादन मध्यस्थता के लिए एक बाधा है, भले ही दावेदार द्वारा धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव के आधार पर इसकी वैधता को चुनौती दी गई हो।न ही वे यह प्रस्ताव रखते हैं कि भले ही अनुबंध का निर्वहन वास्तविक या कानूनी न हो, लेकिन दावों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जा सकता है।तीनों मामलों में, न्यायालय ने तथ्यों की जांच की और खुद को संतुष्ट किया कि अनुबंध का सहमति और संतुष्टि या पूर्ण निर्वहन था और जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव के आरोप का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था।”

डी.

ई.

13. इसने आगे उदाहरण दिए कि कब दावे मनमाने हैं और कब नहीं।यह उदाहरणात्मक (संपूर्ण नहीं) हो सकता है लेकिन अधिकारियों के लिए यह निर्णय लेने में फायदेमंद हो सकता है कि क्या किसी दी गई स्थिति में जहां कोई दावा/निर्वहन वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसका कानूनी प्रभाव क्या होगा और फिर भी कोई मध्यस्थ विवाद है जिसकी मध्यस्थ द्वारा दी गई तथ्यों और परिस्थितियों में जांच की जानी है।

एफ.

और राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के पैरा 52 में आयोजित किया गया। बनाम बोघारा पॉलीफैब

जी.

प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) निम्नानुसार हैः- "52. इस विषय पर चर्चा को पूरा करने के लिए कुछ उदाहरण (संपूर्ण नहीं) हैं कि कब दावे मध्यस्थता योग्य हैं और जब वे नहीं हैं, जब सहमति और संतुष्टि से अनुबंध का निर्वहन विवादित है, तो वे हैंः

एच.

530

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 5 एस सी आर।

(i) एक दावे को सुलह या पूर्व-मुकदमेबाजी लोक अदालत के लिए संदर्भित किया जाता है। पक्ष बातचीत करते हैं और एक समझौते पर पहुंचते हैं।समझौते की शर्तें दोनों पक्षों द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित की जाती हैं और सुलहकर्ता या लोक अदालत के सदस्यों द्वारा सत्यापित की जाती हैं।समझौते और संतुष्टि के माध्यम से निपटान के बाद, मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है।

बी.

((ii) एक दावेदार कई दावे करता है।स्वीकृत या निर्विवाद दावों का भुगतान किया जाता है। इसके बाद विवादित दावों के निपटारे के लिए बातचीत की जाती है जिसके परिणामस्वरूप सभी लंबित दावों और विवादों को लिखित रूप में निपटाया जाता है।इस तरह के निपटान पर, सहमत राशि का भुगतान किया जाता है और ठेकेदार एक निर्वहन वाउचर/नो-क्लेम सर्टिफिकेट/पूर्ण और अंतिम रसीद भी जारी करता है।इस तरह के समझौते और संतुष्टि द्वारा अनुबंध के निर्वहन के बाद, न तो अनुबंध और न ही कोई विवाद विचार के लिए जीवित रहता है।इसके बाद मध्यस्थता के लिए किसी भी विवाद का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है।

सी.

(iii) एक ठेकेदार काम को निष्पादित करता है और अनुबंध के संदर्भ में दस लाख रुपये के भुगतान का दावा करता है।नियोक्ता केवल छह लाख रुपये के दावे को स्वीकार करता है और ठेकेदार को लिखित या मौखिक रूप से सूचित करता है कि जब तक ठेकेदार अनुबंध की पूरी और अंतिम संतुष्टि में छह लाख रुपये की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए निर्धारित प्रारूप में निर्वहन वाउचर नहीं देता है, तब तक स्वीकार की गई राशि का भुगतान जारी नहीं किया जाएगा।जिस ठेकेदार पर धन के लिए कड़ी मेहनत की जाती है और वह स्वीकृत राशि जारी करने के लिए उत्सुक होता है, वह बिंदीदार रेखा पर या तो मुद्रित रूप में या अन्यथा यह कहते हुए हस्ताक्षर करता है कि राशि पूर्ण और अंतिम निपटान में प्राप्त हुई है।ऐसे मामले में, निर्वहन नियोक्ता द्वारा लगाए गए जबरदस्ती के कारण आर्थिक दबाव में होता है।जाहिर है,

निर्वहन वाउचर को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता है या इसके परिणामस्वरूप समझौते का निर्वहन सहमति और संतुष्टि से किया गया है।यह मध्यस्थता के लिए बाधा नहीं होगी।

डी.

ई.

एफ.

((iv) बीमित व्यक्ति नुकसान का दावा करता है।दावा न तो स्वीकार किया जाता है और न ही अस्वीकार किया जाता है।लेकिन बीमित व्यक्ति को चर्चा के दौरान सूचित किया जाता है कि जब तक दावेदार एक निर्दिष्ट राशि (बीमित व्यक्ति द्वारा दावा की गई राशि से बहुत कम) के लिए पूर्ण और अंतिम वाउचर नहीं देता है, तब तक पूरा दावा खारिज कर दिया जाएगा। वित्तीय कठिनाइयों में होने के कारण, दावेदार मांग के लिए सहमत हो जाता है और पूर्ण और अंतिम निपटान में एक दिनांकित निर्वहन वाउचर जारी करता है।इसके कुछ ही दिनों बाद, वाउचर ए में उल्लिखित स्वीकृत राशि

जी.

एच.

संयुक्त भारत बीमा कंपनी. LTD.v।एंटीक्यु आर्ट एक्सपोर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [आर. ए. एस. टी. ओ. जी. आई, जे.] ए.

भुगतान किया जाता है।ऐसे मामले में समझौता और संतुष्टि स्वैच्छिक नहीं है, बल्कि दबाव, मजबूरी और जबरदस्ती के तहत है।जबरदस्ती सूक्ष्म है, लेकिन बहुत वास्तविक है।"समझौता" स्वतंत्र सहमति से नहीं होता है।इस प्रकार विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए मध्यस्थता समझौते को लागू किया जा सकता है।

(v) एक दावेदार नुकसान के रूप में एक बड़ी राशि का दावा करता है।प्रत्यर्थी दावे पर विवाद करता है।दावेदार जो समझौता करने और मुकदमेबाजी से बचने के लिए उत्सुक है, स्वेच्छा से दावे को कम करता है और निपटान के लिए अनुरोध करता है।प्रत्यर्थी सहमत होता है और दावे का निपटारा करता है और एक पूर्ण और अंतिम निर्वहन वाउचर प्राप्त करता है। यहां भले ही दावेदार वित्तीय मजबूरियों और वाणिज्यिक दबाव या आर्थिक दबाव के कारण निपटान के लिए सहमत हो गया हो, निर्णय उसकी स्वतंत्र पसंद थी।प्रत्यर्थी द्वारा कोई धमकी, जबरदस्ती या मजबूरी नहीं थी।इसलिए, समझौता और संतुष्टि बाध्यकारी और वैध है और इसके बाद कोई दावा या मध्यस्थता का संदर्भ नहीं हो सकता है।"

बी.

सी.

डी.

14. यह सच है कि अंगूठे का नियम नहीं हो सकता है और प्रत्येक मामले को व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने तथ्यों और परिस्थितियों पर देखा जाना चाहिए, यह इस न्यायालय द्वारा भारत संघ में कहा गया था।

और अन्य बनाम मास्टर कंस्ट्रक्शन कं. 2011 (12) पैरा 18 पर एस. सी. सी. 349

निम्नानुसारः- “18. हमारी राय में, निरपेक्ष प्रकार का कोई नियम नहीं है।एक ऐसे मामले में जहां दावेदार का तर्क है कि एक निर्वहन वाउचर या नो-क्लेम सर्टिफिकेट धोखाधड़ी, जबरदस्ती, दबाव या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया है और दूसरा पक्ष इसकी शुद्धता का विरोध करता है, मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को कम से कम, प्रथम दृष्टया, यह पता लगाने के लिए इस पहलू पर गौर करना चाहिए कि विवाद प्रामाणिक और वास्तविक है या नहीं।जहां दावेदार द्वारा निर्वहन वाउचर या नो-क्लेम सर्टिफिकेट या निपटान समझौते की वैधता के संबंध में उठाया गया विवाद, प्रथम दृष्टया, विश्वसनीयता में कमी प्रतीत होता है, वहां विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।”

ई.

एफ.

जी.

15. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रस्ताव से जो पता चलता है वह यह है कि केवल धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अनुचित प्रभाव की याचिका अपने आप में पर्याप्त नहीं है और जिस पक्ष ने आरोप लगाया है वह धारा 11 (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित के समक्ष संतोषजनक सामग्री को रिकॉर्ड पर रखकर इसे प्रथम दृष्टया स्थापित करने के लिए बाध्य है।

एच.

अधिनियम का, जिस पर इस न्यायालय द्वारा नए भारत में विचार किया गया है

एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामला (ऊपर) इस प्रकार हैः-

“9. इसलिए यह स्पष्ट है कि धोखाधड़ी**,** जबरदस्ती**,** दबाव या अनुचित प्रभाव की एक गंजी याचिका पर्याप्त नहीं है और जो पक्ष याचिका दायर करता है**,** उसे मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति के समक्ष सामग्री रखकर प्रथम दृष्टया इसे स्थापित करना चाहिए।

बी.

16. तत्काल मामले में दावे के निपटारे और डिस्चार्ज वाउचर जारी होने के 11 सप्ताह बाद पहली बार प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका में अभिकथन किया गया था, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने में अनुचित प्रभाव/जबरदस्ती के मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई थी।-

सी.

“ xiii.यह कहा गया है कि एक बीमाकर्ता के रूप में सौदेबाजी की स्थिति में रहने वाले प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को पूर्व-हस्ताक्षरित मानक निर्वहन वाउचर पर बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और मजबूर किया।गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी के दबाव की रणनीति को स्वीकार कर लिया और उसे रुपये की राशि के लिए एक कथित निर्वहन वाउचर दिनांकित 24.06.2016 पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। 2,20,36,840/- (रुपये दो करोड़ बीस लाख छत्तीस हजार, आठ सौ चालीस केवल) रुपये के दावे के मुकाबले। 5,12,49,241/- (पांच करोड़ बारह लाख उनतालीस हजार दो सौ इकतालीस रुपये केवल) धन जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में। xvii.यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने दिनांकित पत्र 27.07.2016 के माध्यम से कथित निर्वहन वाउचर को अवैध और अमान्य बताते हुए रद्द कर दिया क्योंकि इसे अत्यधिक वित्तीय दबाव के कारण उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था।याचिकाकर्ता ने उक्त पत्र दिनांक 27.07.2016 के माध्यम से प्रत्यर्थी से रुपये की शेष राशि का भुगतान करने का आह्वान किया। 2,92,12,401/- (दो करोड़ नब्बे लाख बारह हजार चार सौ एक मात्र रुपये) आग के परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को हुए नुकसान के कारण।याचिकाकर्ता ने घटना की तारीख से प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ-साथ भुगतान की तारीख तक यानी 06.07.2016 तक भुगतान की गई राशि पर ब्याज का भी दावा किया।”17. यह सच है कि इस तरह का कोई नियम नहीं हो सकता है कि केवल निर्वहन वाउचर का आरोप या किसी अन्य पक्ष द्वारा धोखाधड़ी/जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव से प्राप्त कोई दावा प्रमाण पत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक कि दावेदार जो आरोप लगाता है कि निर्वहन समझौते का निष्पादन या कोई दावा प्रमाण पत्र नहीं था।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

संयुक्त भारत बीमा कंपनी. LTD.v।एंटीक्यु आर्ट एक्सपोर्ट्स पी. वी. टी. लिमिटेड. [आर. ए. एस. टी. ओ. जी. आई, जे.] ए.

533

दूसरे पक्ष द्वारा की गई धोखाधड़ी/जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव के कारण प्राप्त, इसकी पुष्टि करने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम है, इसकी शुद्धता मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति के लिए इस पहलू को देखने के लिए खुली हो सकती है ताकि कम से कम प्रथम दृष्टया यह पता लगाया जा सके कि क्या विवाद अधिनियम की धारा 11 (6) को लागू करने का निर्णय लेने में वास्तविक और वास्तविक है।

बी.

18. तत्काल मामले में, तथ्य इस बात पर विवाद में नहीं हैं कि 25 सितंबर, 2013 और 25 अक्टूबर, 2013 को आग लगने की दो घटनाओं के लिए, अपीलकर्ता कंपनी ने सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर 5 मई, 2016 और 24 जून, 2016 को 25 सितंबर, 2013 और 25 अक्टूबर, 2013 की दोनों आग के दावों के निपटारे के लिए ई-मेल भेजे, जिसका जवाब प्रत्यर्थी ने उसी तारीख को ई-मेल के माध्यम से कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए दिया था और समझौते और संतुष्टि के साथ पूर्ण और अंतिम निपटान में डिस्चार्ज वाउचर भी जारी किया था।इसके बाद, 12 जुलाई, 2016 को, प्रत्यर्थी ने विवरण के साथ कुछ जानकारी मांगी जो भी प्रस्तुत की गई थी और पहली बार 27 जुलाई, 2016 को, इसने यू-टर्न लिया और अपीलार्थी द्वारा अनुचित प्रभाव/जबरदस्ती की आवाज उठाई, जिसमें कहा गया कि वित्तीय संकट में होने के कारण बिंदीदार रेखाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।जैसा कि देखा गया है, यह वाक्यांश अपने आप में तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि जबरदस्ती/अनुचित प्रभाव के आरोप को स्थापित करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत न हो, जो तत्काल मामले में पूरी तरह से गायब है।19. दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, हम संतुष्ट हैं कि अभियोग पत्र का निर्वहन और हस्ताक्षर करना किसी अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती के कारण नहीं था जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा दावा किया जा रहा है और हमें यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि अनुरोध पत्र के निष्पादन पर, दावे का उचित समझौते और संतुष्टि के साथ निपटारा किया गया था, जिससे अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ द्वारा किसी भी मध्यस्थ विवाद की जांच नहीं की गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

20. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 11 में उप-धारा (6 ए) को शामिल करने के बाद इस न्यायालय की अधिकारिता को अस्वीकार कर दिया गया है और न्यायालय का सीमित अधिदेश मध्यस्थता के अस्तित्व के तथ्य की जांच करना है और

जी.

ड्यूरो फेलगुएरा एस. ए. बनाम में निर्णय पर भरोसा किया। गंगावरम बंदरगाह

लिमिटेड 2017 (9) एस. सी. सी. 729।इस निर्णय में व्याख्या उन संशोधित प्रावधानों के प्रभाव के बारे में एक सामान्य अवलोकन है जिनकी जांच छह मध्यस्थता समझौतों (पांच) के संदर्भ में की गई थी।

एच.

कार्यों के लिए समझौते और एक कॉर्पोरेट गारंटी) और प्रत्येक समझौते में मध्यस्थता का प्रावधान होता है और मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के संदर्भ में पक्षों के बीच गंभीर विवाद था कि क्या प्रत्येक समझौते से संबंधित मध्यस्थता न्यायाधिकरण होना चाहिए।तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11 में संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा शुरू की गई उप-धारा (6 ए) पर ध्यान दिया और उस संदर्भ में कहा कि प्रारंभिक विवादों की जांच मध्यस्थ द्वारा की जानी है और अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उपलब्ध सीमित दायरे के भीतर न्यायालय की जांच नहीं की जानी चाहिए। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि मध्यस्थ की नियुक्ति एक न्यायिक शक्ति है और यह केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं है जो किसी प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करने के लिए कुछ हद तक न्यायिक हस्तक्षेप छोड़ता है, यह सुनिश्चित करना हमेशा आवश्यक है कि विवाद समाधान प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी न हो।

बी.

सी.

21. तत्काल मामले में, प्रत्यर्थी द्वारा निर्वहन वाउचर पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, बिना किसी आपत्ति या विरोध के और दावे को अंततः सहमति और संतुष्टि के साथ निपटाने के बाद, प्रथम दृष्टया कोई विवाद कायम नहीं रहा और दावे के निपटारे के 11 सप्ताह बाद 27 जुलाई, 2016 को पहली बार विरोध के रूप में एक पत्र भेजा गया कि निर्वहन वाउचर पर अनुचित प्रभाव और जबरदस्ती के तहत हस्ताक्षर किए गए थे और इसके अभाव में कोई सहायक प्रथम दृष्टया सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था।

डी.

ई.

22. हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने और अभिलेख पर किसी भी सहायक साक्ष्य के बिना मध्यस्थ की नियुक्ति में एक यांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने में एक स्पष्ट त्रुटि की है ताकि प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित किया जा सके कि समझौते के तहत एक मध्यस्थ विवाद था जिसे निर्णय के लिए मध्यस्थ के पास भेजे जाने की आवश्यकता थी।

एफ.

23. नतीजतन, अपीलों की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को तदनुसार रद्द कर दिया जाता है।कोई लागत नहीं।

जी.

24. लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है।

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

एच.